संख्या-60 /2025/I-1118152/सा0-314 /38-2-2025-17बी-2017
38-2099-99-172-2024

प्रेषक,

चन्द्रिका प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2025

विषयः- जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड कोरांव के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक-558/मु0प्रा0प0/एतसप/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 26 जून, 2025, जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज के पत्रांक-12/डी0पी0सी0/आ0भा0-कोरांव/2025-26, दिनांक 17.04.2025 तथा शासनादेश संख्या-27/2018/सा0-373/38-2-2018-17बी/2017, दिनांक 22 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-32/2024/I-829430/सा0-444/38-2-2024-17बी/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद-प्रयागराज के विकास खण्ड कोरांव के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक टी0ए0सी0, ग्राम्य विकास उ0प्र0 द्वारा पुनरीक्षित आकलित लागत रू0 443.95 लाख (रूपये चार करोड़ तैतालीस लाख पचानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/मानकों में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का एवं पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 22.03.2018 एवं 20 दिसम्बर, 2024 का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) परियोजना में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 के द्वारा स्वीकृत द्वितीय किश्त के रूप में कुल धनराशि रू0 272.26 लाख के सापेक्ष नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रावधानों को यथा मानते हुये मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्ततन जैसे- नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉं इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए अनुमन्यता व वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार नियमानुसार समस्त दरों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करते हुए विस्तृत प्राक्कलन का गठन कर इसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम तकीनीकी अधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही नियमानुसार कार्य सम्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

संख्या-60/2025/I-1118152/सा0-314/38-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज।
7- कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
8- जिला अर्थ एवं संख्या, अधिकारी, प्रयागराज ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज बायां तट, गोमती नगर, लखनऊ/परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 निर्माण इकाई-2, प्रयागराज ।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से
चन्द्रिका प्रसाद
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।